सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः— 2025 / 704 दर्ज तिथिः— 25.09.2025

1. करनाराम पुत्र गिरधारी
2. भूराराम पुत्र गिरधारी
3. पूनमाराम पुत्र घमण्डा
   जाति जाट निवासी सनावड़ा खुर्द, रोली तहसील गुड़ामालानी

.....वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुडामालानी बाडमेर

.....प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः— श्री जगदीश विश्नोई
प्रतिवादीः— तहसीलदार

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा—88, 188
राजस्थान काश्तकारी अधि0—1955

—:निर्णयः—

निर्णय तिथिः—18.05.2026

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र बाबत् इस्तकराहक्क अन्तर्गत धारा—88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। वाद पत्र का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से हैः—
   - कि वादीगण के पूर्वज स्व0 गिरधारी वल्द मोटा है। जिसका पारिवारिक सजरा निम्नानुसार है—

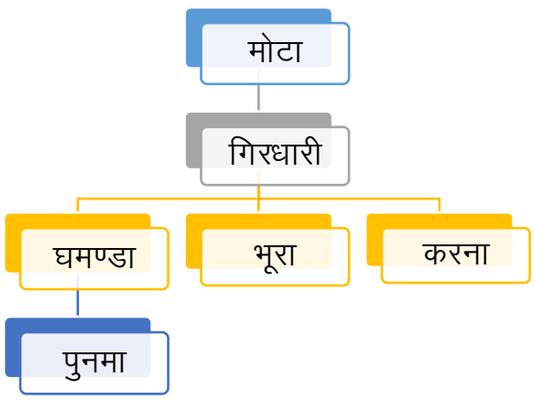

- वादीगण के पूर्वज गिरधारी का खातेदारी खेत खसरा संख्या 33 रकबा 58—13 बीघा मौजा सनावड़ा खुर्द तहसील गुड़ामालानी वक्त सेटलमेंट एवं वक्त सेटलमेंट से पूर्व से आया हुआ है। जिस पर वादीगण काबिज काश्त करते आ रहे है। वक्त सेटलमेंट पर्चा लगान में खसरा संख्या 33 रकबा भूलवंश 58—13 बीघा के स्थान पर 8—13 बीघा गलत अंकित कर दिया गया। जबकि वादीगण का सेटलमेंट से पूर्व, वक्त सेटलमेंट एवं आदिनांक तक 58—13 बीघा पर कब्जा काश्त चला रहा है। जिसमें वादीगण की ढाणिया, पशुबाड़े एवं चारबाड़े इत्यादि बने हुए है।
- कि वादीगण के पूर्वज गिरधारी के फौत होने पर वादग्रस्त आराजी स्व0 गिरधारी के पुत्र घमण्डा, भूरा, करना के नाम खातेदारी दर्ज हुई। घमण्डा के फौत होने से उनके पुत्र पूनमा के नाम खातेदार दर्ज हुई जो वर्तमान में खातेदार है।
- कि वादीगण की भूमि खसरा संख्या 33 रकबा 1.4002 है0 दर्ज हो रखी है जो गलत है। वक्त पैमाईश के समय उक्त आराजी की पैमाईश राजस्व अधिकारियों एवं कर्मचारियों की त्रुटि की वजह से 58—13 बीघा के स्थान पर 08—13 बीघा दर्ज कर दिया। वादीगण जिसे सही रकबा 58—13 बीघा खातेदारी घोषणा किये जाने का निवेदन किया है।
- कि उक्त आराजी के पास से नर्मदा नहर गुजर रही है। नहर विभाग द्वारा बनाया गया पूर्व में नजरी नक्शा में वादीगण के कब्जे काश्त की आराजी भूमि रकबा 58—13 बीघा सिचिंत कमाण्ड में ली गई। भौतिक रूप से लट्ठा ट्रेस नक्शा में भी उक्त भूमि का नाप 58—13 बीघा दर्ज हो रहा है। वादीगण के कब्जा काश्त अनुसार जिसको हल्का पटवारी द्वारा वादीगण को जबरन बेदखल करने पर उतारू हुए तब बमुकाम मौजा सनावड़ा खुर्द पटवार हल्का बांटा में पैदा हुआ।
- वादीगण की खातेदारी आराजी पर दखलअंदाजी करने से रोकने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया।

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में प्रतिवादी तहसील गुड़ामालानी से मौका रिपोर्ट तलब की गई।

3. प्रकरण में उक्त प्रकार से कार्यवाही किये जाने पर विचारण आरम्भ किया गया। प्रकरण में वादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्न दस्तावेज प्रस्तुत कर प्रदर्श अंकित किए—

दस्तावेज	संवत / विवरण	प्रदर्श
जमाबंदी	खाता संख्या 37 संवत 2076—2076 मौजा सनावड़ा खुर्द	प्रदर्शपी—01
नक्शा	भू—नक्शा खसरा संख्या 33 मौजा सनावड़ा खुर्द	प्रदर्शपी—02
खतौनी बंदोबस्त	खतौनी बंदोबस्त गांव सनावड़ा गिरधारी वल्द मोटा जाति जाट सा0 रोली खातेदार	प्रदर्शपी—03
जमाबंदी खतौनी	जमाबंदी खतौनी खसरा संख्या 33 व 8 ग्राम सनावड़ा खुर्द	प्रदर्शपी—04

जमाबंदी	जमाबंदी संवत् 2064 खसरा संख्या 33 मौजा सनावड़ा खुर्द	प्रदर्शपी–05
सहमति पत्र	नर्मदा नहर विभाग व जल उपभोक्ता संगम संख्या SNWK	प्रदर्शपी–06
कमाण्ड एरिया पत्र	नर्मदा नहर परियोजना सनावड़ा खुर्द माईनर कमाण्ड एरिया	प्रदर्शपी–07
कमाण्ड एरिया नक्शा	नर्मदा नहर परियोजना सनावड़ा खुर्द माईनर कमाण्ड एरिया नक्शा जिसमें खसरा संख्या 33 शामिल है।	प्रदर्शपी–08
आधार कार्ड	वादी करनाराम का आधार कार्ड की प्रति	प्रदर्शपी–09

4. प्रकरण में वादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्न गवाह प्रस्तुत किए–

नाम	जाति	निवासी	गवाह
करनाराम पुत्र गिरधारी	जाट	सनावड़ा खुर्द, रोली	पी0डब्ल्यू–1
बाबूलाल पुत्र ताजाराम	सुथार	सनावड़ा खुर्द, रोली	पी0डब्ल्यू–2
गंगाविशन पुत्र पुरखाराम	जाट	सनावड़ा खुर्द, रोली	पी0डब्ल्यू–3
भीखाराम पुत्र करनाराम	जाट	सनावड़ा खुर्द, रोली	पी0डब्ल्यू–4

5. प्रकरण में करनाराम पुत्र गिरधारी पी0डब्ल्यू–01, बाबूलाल पुत्र ताजाराम पी0डब्ल्यू–02 तथा गंगाविशन पुत्र पुरखाराम पी0डब्ल्यू–03, भीखाराम पुत्र करनाराम पी0डब्ल्यू–04 द्वारा हलफनामा प्रस्तुत कर समान रूप से निम्न प्रकार कथन किये–
   - कि कि वादीगण के पूर्वज स्व0 गिरधारी वल्द मोटा है।
   - वादीगण के पूर्वज गिरधारी का खातेदारी खेत खसरा संख्या 33 रकबा 58–13 बीघा मौजा सनावड़ा खुर्द तहसील गुड़ामालानी वक्त सेटलमेंट एवं वक्त सेटलमेंट से पूर्व से आया हुआ है। जिस पर वादीगण काबिज काश्त करते आ रहे है। वक्त सेटलमेंट पर्चा लगान में खसरा संख्या 33 रकबा भूलवंश 58–13 बीघा के स्थान पर 8–13 बीघा गलत अंकित कर दिया गया। जबकि वादीगण का सेटलमेंट से पूर्व, वक्त सेटलमेंट एवं आदिनांक तक 58–13 बीघा पर कब्जा काश्त चला रहा है। जिसमें वादीगण की ढाणिया, पशुबाड़े एवं चारबाड़े इत्यादि बने हुए है।
   - कि वादीगण के पूर्वज गिरधारी के फौत होने पर वादग्रस्त आराजी स्व0 गिरधारी के पुत्र घमण्डा, भूरा, करना के नाम खातेदारी दर्ज हुई। घमण्डा के फौत होने से उनके पुत्र पूनमा के नाम खातेदार दर्ज हुई जो वर्तमान में खातेदार है।
   - कि वादीगण की भूमि खसरा संख्या 33 रकबा 1.4002 है0 दर्ज हो रखी है जो गलत है। वक्त पैमाईश के समय उक्त आराजी की पैमाईश राजस्व अधिकारियों एवं कर्मचारियों की त्रुटि की वजह से 58–13 बीघा के स्थान पर 08–13 बीघा दर्ज कर दिया। वादीगण जिसे सही रकबा 58–13 बीघा खातेदारी घोषणा किये जाने का निवेदन किया है।

- कि उक्त आराजी के पास से नर्मदा नहर गुजर रही है। नहर विभाग द्वारा बनाया गया पूर्व में नजरी नक्शा में वादीगण के कब्जे काश्त की आराजी भूमि रकबा 58–13 बीघा सिचिंत कमाण्ड में ली गई। भौतिक रूप से लट्ठा ट्रेस नक्शा में भी उक्त भूमि का नाप 58–13 बीघा दर्ज हो रहा है। वादीगण के कब्जा काश्त अनुसार जिसको हल्का पटवारी द्वारा वादीगण को जबरन बेदखल करने पर उतारू हुए तब बमुकाम मौजा सनावड़ा खुर्द पटवार हल्का बांटा में पैदा हुआ।
- वादीगण की खातेदारी आराजी पर दखलअंदाजी करने से रोकने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया।
- इसके समर्थन में वादी द्वारा पैरा–03 मे अंकित दस्तावेज प्रदर्श करवाएं हैं।

6. प्रकरण में वादी गवाहों से प्रतिवादी संख्या 01 से जिरह नहीं किये जाने से मुख्य परीक्षण करवाते हुए बयान शामिल पत्रावली किये गये। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 01 से मौका जांच रिपोर्ट तलब की गई। प्रकरण में तहसीलदार गुड़ामालानी के पत्रांक / कोर्ट / आर.ए. / 2025 / 1936 दिनांक 21.01.2026 द्वारा मौका जांच रिपोर्ट प्राप्त की गई। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार गुड़ामालानी के पत्रांक / कोर्ट / आर.ए. / 2025 / 1936 दिनांक 21.01.2026 द्वारा प्रेषित मौका जांच रिपोर्ट बिन्दुवार निम्नानुसार है–
    - **खसरा संख्या 33 की रिकॉर्ड अनुसार स्थिति**–राजस्व रिकॉर्ड अनुसार खसरा संख्या 33 का कुल खातेदारी रकबा 08–13 बीघा अर्थात 1.4002 है0 दर्ज है। राजस्व रिकॉर्ड अनुसार उक्त खसरे का स्वामित्व करना पुत्र गिरधारी हि0 1 / 3, पूनमा पुत्र घमण्डा हि0 1 / 3, भूरा पुत्र गिरधारी हि0 1 / 3 कौम जाट के नाम से दर्ज है।
    - **राजस्व नक्शा व रकबा बरारी संबंधी स्थिति**–ग्राम सनावड़ा खुर्द के वक्त सेटलमेंट से पैमाईश द्वारा बनाया गया नक्शा की रकबा बरारी करने पर खसरा संख्या 33 का रकबा 58 बीघा 13 बिस्वा अर्थात 9.4939 है0 बनता है।
    - **मौके की वास्तविक स्थिति**–मौके पर जांच करने पर पाया कि खसरा संख्या 33 की भूमि का वास्तविक काबिज काश्त क्षेत्रफल 58–13 बीघा अर्थात 9. 4939 है0 है। मौके पर भूमि का फैलाव, सीमाए एवं पड़ौसी खसरों से मिलान करने पर रिकॉर्ड से मेल खाता पाया गया।
    - **राजस्व नक्शा व मौके की तुलना**–मौके पर खसरा संख्या 33 का फैलाव राजस्व नक्शा के अनुरूप पाया गया। भूमि की सीमाए आसपास के खसरों से मिलती हुई पायी गयी।
    - **अन्य महत्वपूर्ण तथ्य**–मौके पर कोई अतिरिक्त अतिक्रमण नही पाया गया और न ही अन्य खसरे में विलय किया गया।
    - **निष्कर्ष**–मौके पर वर्तमान निरीक्षण एवं सीमाज्ञान से यह स्पष्ट हुआ है कि खसरा संख्या 33 का वास्तविक रकबा नक्शा अनुसार 58–13 बीघा ही है तथा जमाबंदी में दर्शाया गया रकबा भूलवंश त्रुटि प्रतीत होता है। अतः खसरा संख्या 33 का रकबा का संशोधित करते हुए 58–13 बीघा अर्थात 9.4939 है0 किया जाना उचित है।

7. पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता वादीगण की बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता द्वारा वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को मात्र दौहराते हुए वादीगण मुतनाजा आराजी खसरा संख्या 33 रकबा 58—13 बीघा वादीगण के पूर्वज गिरधारी वल्द मोटा के नाम वक्त सेटलमेंट एवं सेटलमेंट से पूर्व कब्जे काश्त की थी। लेकिन सेटलमेंट कार्मिकों द्वारा उक्त खसरें का रकबा 58—13 बीघा के स्थान 08—13 बीघा गलत अंकित कर दिया गया है। लट्ठा ट्रेस में वादीगण के खसरे का रकबा 58—13 बीघा है। वादीगण अपने कब्जे अनुसार रकबा 58—13 की खातेदारी घोषणा किये जाने का निवेदन किया है।

8. मैनें विद्वान अधिवक्ता वादीगण की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में वादीगण द्वारा निम्न अनुतोष निवेदित किये गए जो निम्न प्रकार है—

    1. *आराजी खसरा संख्या 33 रकबा 08—13 मौजा सनावड़ा खुर्द पटवार हल्का बांटा तहसील गुड़ामालानी के स्थान पर रकबा 58—13 बीघा भूमि पर खातेदारी घोषणा की जावे।*
    2. *आराजी खसरा संख्या 33 रकबा 58—13 बीघा बेदखली नहीं किये जाने की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।*

9. प्रकरण में प्रथम तनकी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—15 से संबंधित है। इस कारण प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—15 का अवलोकन किया जाना अपेक्षित है। अतः सर्वप्रथम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—15 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः—

    ***15. Khatedar tenants**— (1) Subject to the provisions of section 16 and clause (d) of Sub-section (1) of section 180 **every person who, at the commencement of this Act, is a tenant of land** otherwise than as a sub-tenant or a tenant of Khudkasht **or who is, after the commencement of this Act, admitted as a tenant** otherwise than a sub-tenant or tenant of Khudkasht **or an allottee of land under, and in accordance with, rules made under section 101 of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Rajasthan Act 15 of 1956)** or **who acquires Khatedari rights in accordance with provisions of this Act or of the Rajasthan Land Reforms and Resumption of Jagir Act, 1952 (Rajasthan Act VI of 1952) or of any other law for the time being in force** shall be a Khatedar tenant and shall, subject to the provision of this Act be entitled to all the rights conferred; and be subject to all the liabilities imposed on Khatedar tenants by this Act:*

    ***Provided that** no Khatedari rights shall accrue under this section to any tenant, to whom land is or has been let out temporarily in Gang Canal, Bhakra, Chambal or Jawai project area or any other area notified in this behalf by the State Government.*

    (2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) Khatedari rights shall not accrue there under to any person to whom land had been let out before the commencement of this Act by the State Government in furtherance of the Grow More Food Campaign or under some special order subject to some specified

conditions or in pursuance of some statutory or non-statutory rules and who shall have, before such commencement, made a default in securing the objective of such campaign or a breach of any such order, condition or rule.

(3) Any person referred to in sub-section (2) may, within three years from the date of commencement of this Act and on payment of a court-fee of twenty five naye paise apply to the Assistant Collector having jurisdiction praying for a declaration that acquired Khatedari right under sub-section (1) in the land held by him.

(4) Such application may be made on any of the following grounds, namely:
(a) that the land held by him was let out to him after the" commencement of this Act.
(b) that it was not let out to him in any of the circumstances specified in sub-section (2).
(c) that when the- land was so let out to him he was not apprised of such circumstances.
(d) that he had, before such commencement made no default or breach of the nature specified in sub-section (2).

(5) The Assistant Collector shall, upon the presentation of an application under sub-section (3), make inquiry in the prescribed manner and afford reasonable opportunity to the applicant of being heard and shall, if he does not reject the application , declare the applicant to have become Khatedar tenant of his holding in accordance with and subject to the provisions of the subsection (I).

10. उपरोक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—15 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—15 के अनुसार निम्न श्रेणी के व्यक्तियों को खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने के प्रावधान बनाये गये हैं:—

    1. *वह प्रत्येक व्यक्ति, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 के प्रभाव में आने की दिनांक 15.10.1955 को काश्तकार रहा है।*
    2. *वह प्रत्येक व्यक्ति, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 के प्रभाव में आने के पश्चात् काश्तकार के रूप में शामिल / मान्य किया गया हो।*
    3. *वह प्रत्येक आवंटी, जिसको राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—101 के तहत बनाये गये नियमों के तहत भूमि आवंटित की गई हो।*
    4. *वह प्रत्येक व्यक्ति, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 के तहत या राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम—1952 के तहत या तत्समय प्रभावी किसी अन्य विधि के तहत खातेदारी अधिकार अधिग्रहण करता हो।*

11. साथ ही प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—19 का अवलोकन किया जाना अपेक्षित है। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—19 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः—

> ***19. Conferment of rights on certain tenants of Khudkasht and sub tenants—***
>
> *(1)* ***Every person*** *who, at the commencement of this Act—*
>
> *a. was entered in the annual registers then current as a tenant of Khudkasht or sub-tenant of land other than grove land, or*
>
> *b. was not so entered but was a tenant of Khudkasht or sub-tenant of land other than grove land*
>
> ***shall*** *as from the date of commencement of the Rajasthan Tenancy (Amendment) Act, 1959, hereafter in this Chapter referred to as the appointed date,* ***become****, subject to the other provisions contained in this Chapter,* ***the Khatedar tenant of such part of the land held by him*** *as does not exceed the minimum area prescribed by the State Government for the purpose of clause (a) of sub-section (1) of section 130 or exceeds the maximum area from which such person is liable to ejectment under clause (d) of the said sub-section of the said section and rights in improvements in that part of the said land shall also accrue to such person:*

12. उपरोक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—19 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—19 के अनुसार निम्न श्रेणी के व्यक्तियों को बतौर खातेदार खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने के प्रावधान बनाये गये हैंः—

> 1. *वह प्रत्येक व्यक्ति, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 के प्रभाव में आने की दिनांक 15.10.1955 को तत्समय के वार्षिक दस्तावेजों में बतौर खुदकाश्त कृषक या उपकृषक दर्ज रहा है।*
> 2. *वह प्रत्येक व्यक्ति, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 के प्रभाव में आने की दिनांक 15.10.1955 को तत्समय के वार्षिक दस्तावेजों में बतौर खुदकाश्त कृषक या उपकृषक दर्ज नहीं रहा हो परंतु खुदकाश्त कृषक या उपकृषक रहा है।*

13. प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—15 व 19 के द्वारा प्रदत्त खातेदारी अधिकारों की घोषणा के लिये अब राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—88 का अवलोकन किया जाना अपेक्षित है। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—88 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः—

> ***88. Suits for declaration of right—***
>
> ***(1) Any person claiming to be a tenant or a co-tenant may sue for a declaration that he is a tenant or for a declaration of his share in such joint tenancy.***

(2) A tenant of Khudkasht may sue for a declaration that he is such a tenant.

(3) A sub-tenant may sue the person from whom he holds for declaration that he is a sub-tenant.

(4) A landholder other than a State Government may sue a person claiming to be a tenant or co-tenant of a holding or a tenant of Khudkasht or a sub-tenant for a declaration of the right of such person.

14. उपरोक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—88 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—88 के अनुसार निम्न श्रेणी के व्यक्ति अपने खातेदारी अधिकार हेतु दावा प्रस्तुत कर सकते हैंः—
    1. *कोई भी व्यक्ति जो स्वयं को काश्तकार व सहकाश्तकार होने का दावा करता हो वह व्यक्ति काश्तकार घोषित होने या सहकाश्तकारी में अपने हिस्से हेतु घोषणा का दावा प्रस्तुत कर सकता है।*
    2. *कोई खुदकाश्त का कृषक स्वयं को काश्तकार घोषित करवाने हेतु दावा प्रस्तुत कर सकता है।*
    3. *कोई उपकृषक जिस व्यक्ति से भूमि धारित करता है उस व्यक्ति के विरूद्ध स्वयं को उपकृषक घोषित होने का दावा प्रस्तुत कर सकता है।*

15. इस प्रकार स्पष्ट है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—15 व धारा—19 के द्वारा खातेदारी अधिकार के संबंध में प्रावधान किये गये हैं। इन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—15 व धारा—19 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों की घोषणा व राजस्व इन्द्राज दुरूस्ती हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—88 के तहत सक्षम न्यायालय में दावा प्रस्तुत करने का उपचार/माध्यम प्रदान किया गया है। इसी कड़ी में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—89 का अवलोकन किया जाना अपेक्षित है। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—89 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः—

89. Suit as to class of tenancy etc.— *At any time during the continuance of a tenancy, the tenant or a landholder other than the State Government may sue for declaration as to all or any of the following matters, namely:-*
(a) the class to which the tenant belongs.
(b) the area, numbered plots or boundaries of the holding.
(c) the rent payable in respect of the holding-and the manner in which it is payable:
(d) in the case of rent payable in case, the dates on which and the instalments in which it is payable.
(e) in the case of rent payable in kind, the time place and manner of appraisement, division or delivery of the crops.
(f) ***in the case of a Gair Khatedar tenant or a tenant of Khudkasht or a sub-tenant, the term for which the tenancy is to run****. and.*

(g) any special conditions not inconsistent with the provisions of this Act.

16. उपरोक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—89 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—89 के अनुसार बतौर काश्तकार निम्न प्रकरणों में दावा प्रस्तुत किया जा सकता हैंः—
    1. *कोई काश्तकार स्वयं की काश्तकार की श्रेणी यथा खातेदार, गैर—खातेदार घोषित होने के संबंध में घोषणा का दावा प्रस्तुत कर सकता है।*
    2. *कोई काश्तकार* ***स्वयं के द्वारा धारित रकबे, खसरा संख्या व खसरों की सीमाओं*** *के संबंध में घोषणा का दावा प्रस्तुत कर सकता है।*
    3. *कोई गैर—खातेदार काश्तकार, खुदकाश्त कृषक व उपकृषक अपनी अभिधारिता अवधि के संबंध में घोषणा का दावा प्रस्तुत कर सकता है।*

17. इस प्रकार प्रकरण के तथ्यों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि वादी द्वारा हस्तगत दावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—89 के बिन्दु बी के तहत अपने द्वारा धारित आराजी के रकबे के संबंध में घोषणा चाहने हेतु प्रस्तुत किया गया है। वादी का दावा अपनी खातेदारी आराजी खसरा संख्या 33 मौजा सनावड़ा खुर्द के जमाबंदी में दर्ज वर्तमान रकबा 08—13 बीघा के स्थान पर राजस्व नक्शा व मौके पर कब्जे के रकबे 58—13 बीघा की खातेदारी अधिकारों की घोषणा से संबंधित है। प्रकरण में अग्रिम विश्लेषण से पूर्व सिविल मामलों में संबंधित पक्षों के दावे व खण्डन के संबंध में साबित करने के भार के संबंध में कानूनी स्थिति का अवलोकन किया जाना अपेक्षित है। इस संबंध में भारतीय साक्ष्य अधिनियम—2023 के प्रासंगिक प्रावधानों का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। इस प्रकार भारतीय साक्ष्य अधिनियम—2023 के प्रासंगिक प्रावधानों का उद्धरण निम्न प्रकार है—

OF THE BURDEN OF PROOF

104. Burden of proof*.—Whoever desires any Court to give judgment as to any legal right or liability dependent on the existence of facts which he asserts must prove that those facts exist, and when a person is bound to prove the existence of any fact, it is said that the burden of proof lies on that person.*

Illustrations.

(a) A desires a Court to give judgment that B shall be punished for a crime which A says B has committed. A must prove that B has committed the crime.

(b) A desires a Court to give judgment that he is entitled to certain land in the possession of B, by reason of facts which he asserts, and which B denies, to be true. A must prove the existence of those facts.

105. On whom burden of proof lies*.—The burden of proof in a suit or proceeding lies on that person who would fail if no evidence at all were given on either side.*

Illustrations.

(a) A sues B for land of which B is in possession, and which, as A asserts, was left to A by the will of C, B's father. If no evidence were given on either side, B would be entitled to retain his possession. Therefore, the burden of proof is on A.

(b) A sues B for money due on a bond. The execution of the bond is admitted, but B says that it was obtained by fraud, which A denies. If no evidence were given on either side, A would succeed, as the bond is not disputed and the fraud is not proved. Therefore, the burden of proof is on B.

***106. Burden of proof as to particular fact**.—The burden of proof as to any particular fact lies on that person who wishes the Court to believe in its existence, unless it is provided by any law that the proof of that fact shall lie on any particular person.*

Illustration.

A prosecutes B for theft, and wishes the Court to believe that B admitted the theft to C. A must prove the admission. B wishes the Court to believe that, at the time in question, he was elsewhere. He must prove it.

***107. Burden of proving fact to be proved to make evidence admissible**.—The burden of proving any fact necessary to be proved in order to enable any person to give evidence of any other fact is on the person who wishes to give such evidence.*

Illustrations.

(a) A wishes to prove a dying declaration by B. A must prove B's death.

(b) A wishes to prove, by secondary evidence, the contents of a lost document. A must prove that the document has been lost.

18. इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 2413/2006 उनवान में निर्णय दिनांक 02.05.2006 में साक्ष्य अधिनियम—1887 के प्रासंगिक प्रावधानों की विवेचना करते हुए किसी दावे में साबित करने के भार के बारे में विस्तृत विवेचना करते हुए न्यायिक दृष्टांत प्रतिपादित किया है। उक्त न्यायिक दृष्टांत के प्रासंगिक विवेचन का उद्धरण निम्न प्रकार है—

The initial burden of proof would be on the plaintiff in view of Section 101 of the Evidence Act, which reads as under:-

> *"Sec. 101. Burden of proof.- Whoever desires any Court to give judgment as to any legal right or liability dependent on the existence of facts which he asserts, must prove that those facts exist.*
>
> *When a person is bound to prove the existence of any fact, it is said that the burden of proof lies on that person."*

In terms of the said provision, the burden of proving the fact rests on the party who substantially asserts the affirmative issues and not the party who denies it. The said rule may not be universal in its application and there may be exception thereto.....

Pleading is not evidence, far less proof. Issues are raised on the basis of the pleadings. The defendant-appellant having not admitted or acknowledged the fiduciary relationship between the parties, indisputably, the relationship between the parties itself would be an issue. The suit will fail if both the parties do not adduce any evidence, in view of Section 102 of the Evidence Act. Thus, ordinarily, the burden of proof would be on the party who asserts the affirmative of the issue and it rests, after evidence is gone into, upon the party against whom, at the time the question arises, judgment would be given, if no further evidence were to be adduced by either side.

xxx

There is another aspect of the matter which should be borne in mind. A distinction exists between a burden of proof and onus of proof. The right to begin follows onus probandi. It assumes importance in the early stage of a case. The question of onus of proof has greater force, where the question is which party is to begin. Burden of proof is used in three ways : (i) to indicate the duty of bringing forward evidence in support of a proposition at the beginning or later; (ii) to make that of establishing a proposition as against all counter evidence; and (iii) an indiscriminate use in which it may mean either or both of the others. The elementary rule is Section 101 is inflexible. In terms of Section 102 the initial onus is always on the plaintiff and if he discharges that onus and makes out a case which entitles him to a relief, the onus shifts to the defendant to prove those circumstances, if any, which would disentitle the plaintiff to the same.

In R.V.E. Venkatachala Gounder v. Arulmigu Viswesaraswami & V.P. Temple and Anr., the law is stated in the following terms :

> *"29. In a suit for recovery of possession based on title it is for the plaintiff to prove his title and satisfy the court that he, in law, is entitled to dispossess the defendant from his possession over the suit property and for the possession to be restored to him. However, as held in A. Raghavamma v. A. Chenchamma there is an essential distinction between burden of proof and onus of proof:*
>
> *burden of proof lies upon a person who has to prove the fact and which never shifts. Onus of proof shifts. Such a shifting of onus is a continuous process in the evaluation of evidence. In our opinion, in a suit for possession based on title once the plaintiff has been able to create a high degree of probability so as to shift the onus on the defendant it is for the defendant to discharge his onus and in the absence thereof the burden of proof lying on the plaintiff shall be held to have been discharged so as to amount to proof of the plaintiff's title."*

19. प्रकरण में भारतीय साक्ष्य अधिनियम—2023 के प्रासंगिक प्रावधानों तथा उक्त न्यायिक दृष्टांत का अवलोकन करने पर कानूनी स्थिति स्पष्ट होती है कि जहां आपराधिक प्रकरणों में निर्णयन संदेहरहित प्रमाणन के आधार पर किया जाता है। वही सिविल प्रकृति के मामलों में संभावनाओं की प्रबलता/प्रधानता के आधार पर निर्णयन किया जाता है। साथ ही यह भी कानूनी स्थिति है कि दावे के अभिवचन साक्ष्य नहीं होते है। दावाकर्त्ता व्यक्ति को अपने दावे के समर्थन में पृथक से साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए अपने दावे के तथ्य को साबित करने का दायित्व होता है।

20. इसके साथ ही यह भी कानूनी स्थिति स्पष्ट होती है कि सबूत का भार (Burden of Proof) तथा प्रमाण का भार (Onus of Proof) में अंतर है। किसी सिविल दावे में सबूत का भार (Burden of Proof) प्रमुखतः वादी पर होता है। सबूत का भार (Burden of Proof) स्थानांतरित नहीं होता है। जबकि प्रमाण का भार (Onus of Proof) स्थानांतरित होता है। किसी सिविल दावे में किसी तथ्य को साबित करने का भार (Burden of Proof) उस तथ्य के आधार पर दावा करने वाले व्यक्ति पर होता है। जब किसी तथ्य को किसी व्यक्ति द्वारा प्रमाण का भार (Onus of Proof) पूर्ण करते हुए साबित करने का दायित्व पूर्ण किया जाता है तो प्रमाण का भार (Onus of Proof) प्रतिद्वंदी पर आ जाता है। अब प्रतिद्वंदी को उक्त तथ्य विशेष के खण्डन हेतु साबित करने का भार (Onus of Proof) होने के कारण अगर प्रमाण प्रस्तुत करते हुए प्रमाणन का भार (Onus of Proof) पूर्ण किया जाता है तो प्रमाण का भार (Onus of Proof) वापस स्थानांतरित हो जाता है। इस प्रकार प्रमाण का भार (Onus of Proof) स्थानांतरित होता रहता है। यह एक अनवरत प्रक्रिया है। जो व्यक्ति प्रमाणन का भार (Onus of Proof) का दायित्व पूर्ण करने में असफल रहता है उसके विरूद्ध उक्त तथ्य को साबित माना जाता है।

21. इस प्रकार उक्त कानूनी स्थिति के संदर्भ में प्रकरण के तथ्यों का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण का अवलोकन करने पर प्रतीत होता है कि वादी द्वारा अपनी खातेदारी आराजी खसरा संख्या 33 मौजा सनावड़ा खुर्द के जमाबंदी में दर्ज वर्तमान रकबा 08—13 बीघा के स्थान पर राजस्व नक्शा व मौके पर कब्जे के रकबे 58—13 बीघा की खातेदारी अधिकारों की घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। यहां उल्लेखनीय है कि विधि की सुस्थापित स्थिति है कि दावे के अभिवचन साक्ष्य नहीं होते है। दावाकर्त्ता व्यक्ति को अपने दावे के समर्थन में पृथक से साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए अपने दावे के तथ्य को साबित करने का दायित्व होता है। अतः केवल दावे के अभिवचन के आधार पर ही वादी को आराजी खसरा संख्या 33 मौजा सनावड़ा खुर्द के जमाबंदी में दर्ज वर्तमान रकबा 08—13 बीघा के स्थान पर राजस्व नक्शा व मौके पर कब्जे के रकबे 58—13 बीघा की खातेदारी अधिकार निहित होने के तथ्य को साबित नहीं माना जा सकता है। वादी के दावे के उक्त अभिवचन का प्रतिवादी द्वारा अपने जवाबदावे में स्पष्ट व विशेष खण्डन नहीं किया है। प्रतिवादी के द्वारा उक्त तथ्य के स्पष्ट व विशेष खण्डन नहीं किए जाने की स्थिति में वादी द्वारा उक्त तथ्य को साक्ष्य के माध्यम से प्रमाणित किया जाना है।

22. अब प्रकरण में उक्त तथ्य के संबंध में वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अवलोकन किया जाना अपेक्षित है। इस संबंध में वादी द्वारा प्रदर्श—02 हाल राजस्व नक्शा खसरा संख्या 33 मौजा सनावड़ा खुर्द प्रस्तुत किया है। उक्त दस्तावेज के अवलोकन से ज्ञात होता है कि खसरा संख्या 33 मौजा सनावड़ा खुर्द का तितम्मा जमाबंदी में अंकित रकबा 1.4002 है0 से मिलान नहीं खाता है। उक्त प्रदर्श—2 राजकीय दस्तावेज है। उक्त दस्तावेज पर प्रदर्श अंकित करते समय प्रतिवादी द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की है। इस प्रकार उक्त दस्तावेज साक्ष्य में ग्राह्य है। उक्त राजकीय दस्तावेज होने के कारण उक्त दस्तावेज का साक्ष्य में अवलोकन किया जाना उचित प्रतीत होता है।

23. प्रकरण में प्रदर्शपी—06 सहमति करार पत्र, प्रदर्श—07 कमाण्ड एरिया हेतु लिस्ट तथा प्रदर्श—08 चकप्लान सनावड़ा खुर्द माईनर के अवलोकन से ज्ञात है कि वादीगण की खातेदारी आराजी को सनावड़ा खुर्द माईनर के कमाण्ड एरिया में शामिल किया गया है। उक्त सनावड़ा खुर्द माईनर के कमाण्ड एरिया में खसरा संख्या 33 मौजा सनावड़ा खुर्द का रकबा 58—13 बीघा लिया हुआ है। इससे यह अवधारणा की जा सकती है कि वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 33 मौजा सनावड़ा खुर्द का मौके पर कब्जा 58—13 बीघा है। इसी अनुरूप वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 33 मौजा सनावड़ा खुर्द का राजस्व नक्शा में रकबा बरारी अनुसार वास्तविक रकबा 58—13 बीघा है। जबकि जमाबंदी में वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 33 मौजा सनावड़ा खुर्द का रकबा 1.4002 है0 है। उक्त प्रदर्शपी—06 सहमति करार पत्र, प्रदर्श—07 कमाण्ड एरिया हेतु लिस्ट तथा प्रदर्श—08 चकप्लान सनावड़ा खुर्द माईनर राजकीय दस्तावेज है। उक्त दस्तावेज पर प्रदर्श अंकित करते समय प्रतिवादी द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की है। इस प्रकार उक्त दस्तावेज साक्ष्य में ग्राह्य है। उक्त राजकीय दस्तावेज होने के कारण उक्त दस्तावेज का साक्ष्य में अवलोकन किया जाना उचित प्रतीत होता है। उक्त प्रदर्शपी—06 सहमति करार पत्र, प्रदर्श—07 कमाण्ड एरिया हेतु लिस्ट तथा प्रदर्श—08 चकप्लान सनावड़ा खुर्द माईनर के अवलोकन से यह अवधारणा की जा सकती है कि वादीगण वक्त बंदोबस्त से अपनी खातेदारी आराजी खसरा संख्या 33 मौजा सनावड़ा खुर्द के 58—13 बीघा आराजी पर काबिज काश्त रहे हों।

24. इसी प्रकार प्रकरण में तहसीलदार गुड़ामालानी के पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2025/1936 दिनांक 21.01.2026 द्वारा मौका जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया जाना भी अपेक्षित है। तहसीलदार गुड़ामालानी के पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2025/1936 दिनांक 21.01.2026 द्वारा मौका जांच रिपोर्ट के अवलोकन से ज्ञात होता है कि वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 33 मौजा सनावड़ा खुर्द का राजस्व नक्शा में अंकित तितम्मा के अनुसार खातेदारी का रकबा 08—13 बीघा के स्थान पर 58—13 बीघा का कायम किया गया है। उक्त 58—13 बीघा का तितम्मा राजस्व नक्शा में वक्त बंदोबस्त से कायम किया हुआ है। उक्त राजस्व नक्शे का तितम्मा व सनावड़ा खुर्द माईनर के कमाण्ड एरिया में शामिल वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 33 मौजा सनावड़ा खुर्द का नक्शा एक समान है। इस प्रकार यह अवधारणा की जा सकती है कि वक्त बंदोबस्त वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 33 मौजा सनावड़ा खुर्द का राजस्व नक्शा में तितम्मा सही अंकित किया गया। साथ ही तहसीलदार गुड़ामालानी के पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2025/1936 दिनांक 21.01.2026 द्वारा मौका जांच रिपोर्ट के अवलोकन से ज्ञात होता है कि वादीगण मौके पर 08—13 बीघा आराजी के स्थान पर राजस्व नक्शे में अंकित तितम्मा के अनुसार 58—13 बीघा भूमि पर काबिज काश्त हैं।

25. प्रकरण में उक्त प्रकार से खसरा संख्या 33 मौजा सनावड़ा खुर्द का तितम्मा वक्त बंदोबस्त सही अंकित किया गया है। उक्त खसरा संख्या 33 मौजा सनावड़ा खुर्द का खसरा बंदोबस्त तितम्मा के अनुसार ही पर्चा लगान व खतौनी बदोबस्त तैयार किया जाना अपेक्षित था। यहां उल्लेखनीय है कि बंदोबस्त प्रक्रिया के दौरान पहले खसरा बंदोबस्त को तैयार करने के दौरान संबंधित काश्तकार का मौके पर कब्जा व काश्त

अनुसार रकबा निर्धारित किया जाता है। तत्पश्चात खसरा बंदोबस्त के आधार पर आपत्ति लेते हुए पर्चा लगान जारी किया जाता है। तत्पश्चात काश्तकार का पर्चा लगान व खसरा बंदोबस्त के आधार पर बंदोबस्त कार्मिकों द्वारा खतौनी बंदोबस्त तैयार किया जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि बंदोबस्त प्रक्रिया के समय खसरा बंदोबस्त के आधार पर ही पर्चा लगान व खतौनी बंदोबस्त तैयार किया जाता है। इस आधार पर वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 33 मौजा सनावड़ा खुर्द का राजस्व नक्शा में तितम्मा खसरा बंदोबस्त में सही अंकित किया गया। इस तथ्य की पुष्टि वादी के द्वारा प्रस्तुत हाल राजस्व नक्शा, सनावड़ा खुर्द माईनर के कमाण्ड एरिया की सूची व नक्शा तथा तहसीलदार गुड़ामालानी के पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2025/1936 दिनांक 21.01.2026 द्वारा मौका जांच रिपोर्ट से होना प्रमाणित प्रतीत होता है।

26. इसके साथ ही प्रकरण में उक्त तथ्य के संबंध में वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अवलोकन किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में वादी के द्वारा चार गवाह बतौर साक्ष्य प्रस्तुत किये गये। प्रकरण में स्वतंत्र गवाह पी0डब्ल्यू0—2 के मुख्य परीक्षण के अवलोकन से ज्ञात होता है कि वादीगण व स्वतंत्र गवाह की आराजी सेढासेढ अवस्थित है। पी0डब्ल्यू0—2 ने मुख्य परीक्षण में अभिकथन किया कि वादीगण का खसरा संख्या 33 मौके पर कब्जा 58—13 बीघा है। वादीगण व वादीगण के पूर्वज उक्त आराजी के 58—13 बीघा रकबे पर आरम्भ से काबिज रहे हैं। वर्तमान में उक्त आराजी पर दो कृषि कनेक्शन भी हैं। साथ ही उक्त आराजी का 58—13 बीघा रकबा कमाण्ड एरिया में शामिल किया गया है। असल में वक्त बंदोबस्त 58—13 बीघा के रकबे का तितम्मा को सही अंकित किया गया। परंतु जमाबंदी में 58—13 बीघा के स्थान पर 5 के अंक को सहवन से भूल जाने के कारण केवल 8—13 बीघा का अंकन पर्चा लगान व जमाबंदी में किया गया। जबकि वादीगण मौके पर 58—13 बीघा पर काबिज काश्त हैं। इसी प्रकार पी0डब्ल्यू0—3, 04 द्वारा भी समान मुख्य परीक्षण किया गया। उक्त गवाहों का परीक्षण प्रकरण में प्रासंगिक प्रतीत होता है।

27. इस प्रकार प्रकरण के दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य के समेकित अवलोकन से प्रतीत होता है कि वक्त बंदोबस्त आराजी हाल खसरा संख्या 33 मौजा सनावड़ा खुर्द का खसरा बंदोबस्त में 58—13 बीघा का तितम्मा अंकित किया गया। उक्त 58—13 बीघा का तितम्मा हाल राजस्व नक्शा में बदस्तूर जारी रहा है। उक्त खसरा संख्या 33 मौजा सनावड़ा खुर्द का राजस्व नक्शा में 58—13 बीघा का तितम्मा हाल राजस्व नक्शा, सनावड़ा खुर्द माईनर के कमाण्ड एरिया की सूची व नक्शा तथा तहसीलदार गुड़ामालानी के पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2025/1936 दिनांक 21.01.2026 द्वारा मौका जांच रिपोर्ट के आधार पर सही अंकित किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि वक्त बंदोबस्त खसरा बंदोबस्त तैयार करते समय खसरा संख्या 33 मौजा सनावड़ा खुर्द का तितम्मा 58—13 बीघा का सही अंकित किया गया। वक्त बंदोबस्त खसरा बंदोबस्त में अंकित खसरा संख्या 33 मौजा सनावड़ा खुर्द के 58—13 बीघा के रकबे के आधार पर ही पर्चा लगान व जमाबंदी में इन्द्राज दर्ज किया जाना अपेक्षित था। परंतु सहवन से खसरा बंदोबस्त में अंकित खसरा संख्या 33 मौजा सनावड़ा खुर्द के 58—13 बीघा के रकबे के आधार पर ही पर्चा लगान व जमाबंदी में इन्द्राज में 5 के अंक को भूल से छोड़े जाने के कारण केवल 8—13 बीघा का अंकन त्रुटिपूर्वक

किया गया। उक्त लिपिकीय त्रुटि काबिल–ए–दुरूस्त है। इसके साथ ही वादी द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य खसरा बंदोबस्त से अपने दावे को साबित करने का प्रयास किया है। इस प्रकार वादी अपने उपर आरोपित तथ्य के प्रमाणन के भार (Onus of Proof) को निर्वहन करने में सफल रहा है। इससे प्रमाणन का भार (Onus of Proof) प्रतिवादी के उपर स्थानांतरित होता है। अब प्रमाणन का भार (Onus of Proof) प्रतिवादी पर है कि वह मुतनाजा आराजी खसरा संख्या 33 मौजा सनावड़ा खुर्द के रकबे के 58–13 बीघा के स्थान पर 8–13 बीघा होने के तथ्य को नकारात्मक रूप से प्रमाणित करे।

28. इस संबंध में प्रतिवादी उक्त खसरा बंदोबस्त में अंकित रकबे को बंदोबस्त प्रक्रिया के समय दुरूस्त करवाने या चुनौती देने के किसी प्रकार के दस्तावेज व साक्ष्य को प्रस्तुत करने में असफल रहे है। इस संबंध में मुतनाजा आराजी खसरा संख्या 33 मौजा सनावड़ा खुर्द के रकबे के 58–13 बीघा के स्थान पर 8–13 बीघा होने के संबंध में प्रतिवादी द्वारा कोई परीक्षण प्रस्तुत नहीं किया है। इस संबंध में प्रतिवादी के उपर आरोपित प्रमाणन का भार (Onus of Proof) को निर्वहन करने में प्रतिवादी असफल रहे है। इससे प्रमाणन का भार (Onus of Proof) वापस वादी के उपर स्थानांतरित नहीं होता है।

29. इस प्रकार उक्त विश्लेषण से ज्ञात होता है कि वक्त बंदोबस्त खसरा बंदोबस्त में अंकित खसरा संख्या 33 मौजा सनावड़ा खुर्द के 58–13 बीघा के रकबे के आधार पर ही पर्चा लगान व जमाबंदी में इन्द्राज दर्ज किया जाना अपेक्षित था। परंतु सहवन से खसरा बंदोबस्त में अंकित खसरा संख्या 33 मौजा सनावड़ा खुर्द के 58–13 बीघा के रकबे के आधार पर ही पर्चा लगान व जमाबंदी में इन्द्राज में 5 के अंक को भूल से छोड़े जाने के कारण केवल 8–13 बीघा का अंकन त्रुटिपूर्वक होने के तथ्य के प्रमाणन के भार (Onus of Proof) को निर्वहन करने में सफल रहा है। इससे अब प्रमाणन का भार (Onus of Proof) प्रतिवादी के उपर स्थानांतरित होता है। प्रतिवादी द्वारा इस संबंध में कोई साक्ष्य व गवाह प्रस्तुत नहीं किया है कि खसरा संख्या 33 मौजा सनावड़ा खुर्द के रकबे 8–13 बीघा का अंकन त्रुटिपूर्वक नहीं है। इस संबंध में प्रतिवादी के उपर आरोपित प्रमाणन (Onus of Proof) का भार को निर्वहन करने में प्रतिवादी असफल रहे है। इससे प्रमाणन का भार (Onus of Proof) वापस वादी के उपर स्थानांतरित नहीं होता है। इस प्रकार वादी वक्त बंदोबस्त खसरा बंदोबस्त में अंकित खसरा संख्या 33 मौजा सनावड़ा खुर्द के 58–13 बीघा के रकबे के आधार पर ही पर्चा लगान व जमाबंदी में इन्द्राज दर्ज किया जाना अपेक्षित था। परंतु सहवन से खसरा बंदोबस्त में अंकित खसरा संख्या 33 मौजा सनावड़ा खुर्द के 58–13 बीघा के रकबे के आधार पर ही पर्चा लगान व जमाबंदी में इन्द्राज में 5 के अंक को भूल से छोड़े जाने के कारण केवल 8–13 बीघा का अंकन त्रुटिपूर्वक होने के तथ्य को उक्तानुसार साबित (Burden of Proof) करने में सफल रहा है। इस प्रकार वादीगण वक्त बंदोबस्त खसरा बंदोबस्त में अंकित खसरा संख्या 33 मौजा सनावड़ा खुर्द के 58–13 बीघा के रकबे के आधार पर ही पर्चा लगान व जमाबंदी में इन्द्राज दर्ज किया जाना अपेक्षित था। परंतु सहवन से खसरा बंदोबस्त में अंकित खसरा संख्या 33 मौजा सनावड़ा खुर्द के 58–13 बीघा के रकबे के आधार पर ही पर्चा लगान व जमाबंदी में इन्द्राज में 5 के अंक को भूल से छोड़े जाने के कारण केवल 8–13 बीघा का अंकन

त्रुटिपूर्वक किया गया। उक्त लिपिकीय त्रुटि काबिल—ए—दुरूस्त माना जाना उचित प्रतीत होता है।

30. प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—15 के अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 के प्रभावी होने के दिनांक 15.10.1955 के समय मुतनाजा आराजी खसरा संख्या 33 मौजा सनावड़ा खुर्द का रकबा 58—13 बीघा के अनुसार ही खसरा बंदोबस्त में तितम्मा अंकित किया गया है। उक्त 58—13 बीघा के तितम्मे के राजस्व नक्शे में अंकन से स्पष्ट होता है कि वादीगण वक्त बंदोबस्त 58—13 बीघा भूमि के काश्तकार रहे हैं। इस कारण उक्त प्रकरण में वादीगण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 के प्रभाव में आने की दिनांक 15.10.1955 को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने के सम्बन्ध में राजस्व रिकॉर्ड से साबित करने में सफल रहे तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 के प्रभाव में आने की दिनांक 15.10.1955 को मौके पर काबिज होने के सम्बन्ध में अपना पक्ष साबित करने में भी सफल रहे हैं। चूंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—88 के अनुसार वादीगण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 के प्रभाव में आने की दिनांक 15.10.1955 को 58—13 बीघा भूमि पर काबिज काश्त रहने के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—15 के तहत काश्तकारी अधिकार रखते हैं। साथ ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—88 के अनुसार वादीगण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 के प्रभाव में आने की दिनांक 15.10.1955 को 58—13 बीघा भूमि पर काबिज काश्त रहने के आधार पर तथा तत्समय के वार्षिक रजिस्टर खसरा बंदोबस्त में अंकित होने के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—19 के तहत बतौर खातेदार काश्तकारी अधिकार रखते हैं। साथ ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—89 के बिन्दु बी के तहत वादीगण बतौर काश्तकार अपने खातेदारी आराजी खसरा संख्या 33 मौजा सनावड़ा खुर्द का रकबा वर्तमान जमाबंदी में दर्ज 8—13 बीघा के स्थान पर 58—13 बीघा दर्ज करवाने का अधिकार निहित रखते हैं। इस प्रकार वादीगण अपना प्रकरण साबित करने में सफल रहे हैं। इस प्रकार तनकी संख्या 01 वादी के पक्ष में स्वीकार की जाती है।

31. अब प्रकरण में तृतीय तनकी का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में प्रथम तनकी निम्न प्रकार हैंः—

> *2. आया वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है।*
>
> *.....वादीगण*

32. प्रकरण में उक्त अनुतोष प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने से संबंधित है। प्रकरण में वादी के अनुतोष के विवेचन हेतु तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 का उद्धरण यहॉ प्रतीत होता है। जो कि निम्न प्रकार हैः—

> ***188. Injunction against wrongful ejectment—***
> *(1) Any tenant whose right to or enjoyment of the whole or a part of his holding is invaded or threatened to be invaded by his landholder or any other person may bring a suit for the grant of a perpetual injunction.*

(2) The court may after making the necessary enquiry grant a perpetual injunction in the following cases, namely-

(a) if there exist no standard for ascertaining the actual damage caused or likely to be caused by the invasion;

(b) if the invasion is such that pecuniary compensation does not afford adequate relief;

(c) where it is probable that pecuniary compensation cannot be got for the invasion.

(d) where the injunction is necessary to prevent a multiplicity of proceedings.

33. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा—188 के अन्तर्गत किसी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारो की आमदरफत में किसी प्रकार का व्यवधान/अतिक्रमण किया जा रहा हो/किया जाने वाला हो उस स्थिति में व्यवधान उत्पन्न/अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किए जाने के प्रावधान बनाए गए है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 की उपधारा—2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु निम्न चार परिस्थितियां बताई गई हैः—

परिस्थिति	विवरण
1.	जब हो रहे/होने वाले संभावित अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान के आंकलन हेतु कोई मानक/मापदण्ड अस्तित्व में नहीं हो।
2.	जब अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ इस प्रकार का हो कि नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति पर्याप्त राहत/संतुष्टि प्रदान नहीं करता हो।
3.	जब इस तथ्य की संभावना हो कि अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति की प्रदानगी संभव नहीं होगी।
4.	जब निषेधाज्ञा राजस्व विवादों की बहुलता को रोकने हेतु आवश्यक हो।

34. इस प्रकार स्पष्ट है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 के तहत केवल खातेदार ही अनुतोष प्राप्त कर सकता है। प्रकरण में तनकी संख्या 01 के वादीगण के पक्ष में स्वीकार होने से वादीगण के मुतनाजा आराजी खसरा संख्या 33 मौजा सनावड़ा खुर्द रकबा 58—13 बीघा पर खातेदारी अधिकार निहित हैं। इस कारण वादीगण का मुतनाजा आराजी खसरा संख्या 33 मौजा सनावड़ा खुर्द रकबा 58—13 बीघा पर खातेदारी अधिकार निहित होने से स्वामित्व व काबिज काश्त होना प्रमाणित है। अगर वादीगण को जमाबंदी में गलत अंकित रकबे के आधार पर अपनी खातेदारी आराजी से बेदखल किया जाता है तो वादीगण को अपूर्णीय क्षति होना प्रबल सम्भावित है। उक्त आधारों पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 की उपधारा—2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु चार परिस्थितियां वादी की खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान को रोकने हेतु आवश्यक परिस्थितियां उत्पन्न होना इंगित करती है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रकरण में वादीगण की खातेदारी आराजी पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है। इस प्रकार

वादीगण तनकी संख्या—02 को साबित करने में सफल रहे हैं। इस कारण तनकी संख्या—02 वादी के पक्ष में स्वीकार की जाती है।

35. अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—88 के अनुसार वादीगण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 के प्रभाव में आने की दिनांक 15.10.1955 को 58—13 बीघा भूमि पर काबिज काश्त रहने के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—15 के तहत काश्तकारी अधिकार रखते हैं। साथ ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—88 के अनुसार वादीगण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 के प्रभाव में आने की दिनांक 15.10.1955 को 58—13 बीघा भूमि पर काबिज काश्त रहने के आधार पर तथा तत्समय के वार्षिक रजिस्टर खसरा बंदोबस्त में अंकित होने के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—19 के तहत बतौर खातेदार काश्तकारी अधिकार रखते हैं। साथ ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—89 के बिन्दु बी के तहत वादीगण बतौर काश्तकार अपने खातेदारी आराजी खसरा संख्या 33 मौजा सनावड़ा खुर्द का रकबा वर्तमान जमाबंदी में दर्ज 8—13 बीघा के स्थान पर 58—13 बीघा दर्ज करवाने का अधिकार निहित रखते हैं। अतः

आदेश है कि

दावा वादी बाबत इस्तकरारहक्क व हुक्म—ए—इम्तिनाई मंजूर किया जाकर इस कदर डिक्री किया जाता है कि वादीगण को मुतनाजा आराजी खसरा संख्या 33 मौजा सनावड़ा खुर्द तहसील गुड़ामालानी के वर्तमान रकबे 08—13 बीघा के स्थान पर राजस्व नक्शे में अंकित उक्त खसरे के तितम्मे व मौके पर कब्जा काश्त अनुसार 58—13 बीघा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। साथ ही खसरा संख्या 33 के वर्तमान राजस्व इन्द्राज में अंकित रकबे 08—13 बीघा को कलमजन करवाते हुए उक्त खातेदारी अधिकार की घोषणा अनुसार 58—13 बीघा रकबा दुरूस्त करवाने का अधिकारी घोषित किया जाता है। साथ ही प्रतिवादीगण को बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये वादीगण को अपनी खातेदारी आराजी से बेदखल नहीं करने बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है।

निर्णय की पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाये।

आज 18.05.2026 यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी

सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः— 2025 / 704 दर्ज तिथिः— 25.09.2025

1. करनाराम पुत्र गिरधारी
2. भूराराम पुत्र गिरधारी
3. पूनमाराम पुत्र घमण्डा
   जाति जाट निवासी सनावड़ा खुर्द, रोली तहसील गुड़ामालानी

.....वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुडामालानी बाडमेर

.....प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः— श्री जगदीश विश्नोई
प्रतिवादीः— तहसीलदार

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा—88, 188
राजस्थान काश्तकारी अधि0—1955

—:पर्चा डिक्रीः—

दावा वादी बाबत इस्तकरारहक्क व हुक्म—ए—इम्तिनाई मंजूर किया जाकर इस कदर डिक्री किया जाता है कि वादीगण को मुतनाजा आराजी खसरा संख्या 33 मौजा सनावड़ा खुर्द तहसील गुड़ामालानी के वर्तमान रकबे 08—13 बीघा के स्थान पर राजस्व नक्शे में अंकित उक्त खसरे के तितम्मे व मौके पर कब्जा काश्त अनुसार 58—13 बीघा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। साथ ही खसरा संख्या 33 के वर्तमान राजस्व इन्द्राज में अंकित रकबे 08—13 बीघा को कलमजन करवाते हुए उक्त खातेदारी अधिकार की घोषणा अनुसार 58—13 बीघा रकबा दुरूस्त करवाने का अधिकारी घोषित किया जाता है। साथ ही प्रतिवादीगण को बिना

विधिक प्रक्रिया अपनाये वादीगण को अपनी खातेदारी आराजी से बेदखल नहीं करने बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है।

यह पर्चा—डिक्री पालनार्थ हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को प्रेषित की जावें। आदेश जारी हो। पक्षकारान अपना—अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

यह पर्चा—डिक्री आज दिनांक 18.05.2026 को मेरे द्वारा लिखवाई जाकर हस्ताक्षर एवं मुहर युक्त जारी की जाकर खुले न्यायालय में सुनाई गई।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी

न्यायालय सहायक कलक्टर/उपखंड अधिकारी
सत्यमेव जयते
गुढ़ामालानी